



मध्यप्रदेश राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 71]

भोपाल, मंगलवार, दिनांक 4 फरवरी 2014—माघ 15, शक 1935

वाणिज्यिक कर विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल
भोपाल, दिनांक 4 फरवरी 2014

क्र. एफ-बी-1-36-2013-2-पांच (9).—मध्यप्रदेश देशी स्पिरिट नियम, 1995 के नियम 10-क द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, राज्य सरकार, एतद्वारा, देशी स्पिरिट के विनिर्माण के लिए रेक्टीफाइड स्पिरिट के आसवनी परिसरों से बाहर और राज्य के भीतर परिवहन पर रुपये 2.50 प्रति बल्क लीटर परिवहन शुल्क विहित करती है।

2. यह अधिसूचना “मध्यप्रदेश राजपत्र” में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रवीन्द्र कुमार चौधरी, उपसचिव।

भोपाल, दिनांक 4 फरवरी 2014

क्र. बी-1-36-2013-2-पांच(9).—भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में, इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक बी-1-36-2013-2-पांच (9), दिनांक 4 फरवरी 2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्वारा प्रकाशित किया जाता है।

मध्यप्रदेश के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
रवीन्द्र कुमार चौधरी, उपसचिव।

Bhopal, the 4th February 2014

No. F-B-1-36-2013-2-V (9).—In exercise of the powers conferred by rule 10-A of the Madhya Pradesh Country Spirit Rules, 1995, the State Government, hereby prescribes transport Fee of Rs. 2.50 per bulk litre on transport of rectified spirit outside the distillery premises and within the state for manufacture of country spirit.

2. This notification shall come into force from the date of its publication in the “Madhya Pradesh Gazette”.

By order and in the name of the Governor of Madhya Pradesh,
RAVINDRA KUMAR CHOUDHARY, Dy. Secy.